2023 का विधेयक संख्यांक 158.

[दि प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेस बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 2023

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 है ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में, "घोषित उपबंध" से किसी ऐसे विधेयक का उपबंध अभिप्रेत है, जिसके संबंध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की गई है ।

केन्द्रीय सरकार की घोषणा करने की शक्ति ।

3. जहां सरकार की ओर से संसद् में पुर:स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक, टैरिफ वर्गीकरण में किसी परिवर्तन सहित या उसके बिना, सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबंध करता है, वहां, केन्द्रीय सरकार, उस विधेयक में यह घोषणा अंत:स्थापित करवा सकेगी कि लोकहित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से संबंधित कोई उपबंध इस अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होगा ।

इस अधिनियम के अधीन की घोषणाओं का प्रभाव और उनकी अवधि ।

4. (1) घोषित उपबंध को, उस दिन की समाप्ति होते ही, तुरंत विधि का बल प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित कर दिया जाता है, जिसमें उक्त उपबंध आता है ।

(2) घोषित उपबंध का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधि का बल तब समाप्त हो जाएगा,—

(क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमिती के रूप में प्रवृत्त हो जाए ;

(ख) जब केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुसरण में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे कि उसका विधि का बल समाप्त हो जाएगा ; या

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हुआ है, तब उस दिन के पश्चात् पचहत्तरवें दिन समाप्त हो जाए, जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, जिसमें उक्त उपबंध आता है ।

कतिपय मामलों में प्रतिदाय का किया जाना ।

5. (1) जहां कोई घोषित उपबंध संशोधित होकर किसी अधिनियमिति के रूप में उस दिन के पश्चात् जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबंध आता है, पचहत्तरवें दिन की समाप्ति के पूर्व प्रवृत होता है वहां, सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो, यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबंध, घोषित उपबंध होता तो, संगृहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर, जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई शुल्क वापस किया जाए, घोषित उपबंध में प्रस्तावित ऐसे शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसे शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां किसी घोषित उपबंध की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे जो, यदि उस उपबंध के बारे में घोषणा न की गई होती तो, संगृहीत नहीं किए जाते ।

निरसन ।

6. अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 निरसित किया जाता है । 1931 का 16

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 2023 टैरिफ वर्गिकरण में परिवर्तन सहित या उसके बिना सीमा-शुल्क या उत्पाद-शुल्क अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करता है । विधेयक, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के निरसन का भी उपबंध करता है ।

2. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 दिसंबर, 2023

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि से आवृति या अनावृति प्रकृति का कोई वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं है ।